मध्य–प्रदेश

दृष्टिपत्र 2018

उद्यानिकी विभाग से संबंधित

100 दिवस कार्य–योजना

मध्य प्रदेश दृष्टिपत्र 2018 में उद्यानिकी विभाग से संबंधित अनुशंसाएं

अ.क्र.	अनुशंसाएं	चरणबद्ध क्रियान्वयन	समय सीमा	रिमार्क
1.C	**उद्यानिकी**			
1.C.1.1	पीपीपी मोड के अंतर्गत छः उद्यानिकी समूहों में अत्याधुनिक नर्सरियां स्थापित की जाएंगी।	• इसके लिये ट्रांजेक्शन एडवाईजर की सेवायें प्राप्त करने के लिये निविदा जारी की जा रही है। • कंसेशयनेयर का चयन 1 वर्ष में पूर्ण होने की संभावना है।	निविदा 60 दिनों में	
1.C.1.2.	मुख्य फल फसलों के लिये रोपण सामग्री प्रदान करने हेतु 100 नर्सरियों का उन्नयन किया जाएगा। उपयुक्त स्थानों पर निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।	विभाग द्वारा रोपणी चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है। इन रोपणियों को उच्च गुणवत्ता की रोपण सामग्री प्रदाय के लिये हर तरह से तैयार किया जायेगा।	100 दिवस	नर्सरी चिन्हांकन एवं बजट प्राप्त करने का कार्य 100 दिवस में पूरा कर लिया जायेगा।

अ.क्र.	अनुशंसाएं	चरणबद्ध क्रियान्वयन	समय सीमा	रिमार्क
1.C.1.4.	केला रोपण समूह में पीपीपी मोड आधारित 5 टिशुकल्चर प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी।	2 रोपणी राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन से एवं 3 राज्य सरकार के बजट से स्थापित करने के लिये जन–निजि भागीदारी के ट्रांजेक्शन एडवाईज़र की नियुक्ति की निविदा जारी की जा रही है।	ट्रांजेक्शन एडवाईजर की निविदा 100 दिवस में जारी कर दी जायेगी	ट्रांजेक्शन एडवाईजर की नियुक्ति की निविदा 100 दिवस में जारी कर दी जायेगी। व आगे उसी अनुरूप चरणबद्व अमल
	कम से कम 4 उद्यानिकी हब्स की स्थापना जो गुणवत्तापूर्ण, आदान प्रदाय, भण्डारण , पैकेजिंग, मूल्य संवर्धन और मार्केटिंग जैसी सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। प्रत्येक हब एक या एक से अधिक उद्यानिकी घनत्व के समूह के लिए सेवारत होगा।	इसके लिये ट्रांजेक्शन एडवाईज़र की नियुक्ति हो चुकी है। फीज़िबिलिटी स्टडी एवं रिक्वेस्ट फॉर क्वालीफिकेशन दस्तावेज प्राप्त हो चुके हैं। सक्षम अनुमोदन के लिये भेजे जा रहे हैं। कंसेशनेयर के चयन में लगभग 12 माह का समय लगेगा । कंसेशनेयर को कार्य पूर्ण करने के लिये 2 वर्ष का समय देना होगा।	• शासन स्तर से अनुमोदन प्रक्रिया तीन माह • कंसेशनर चयन ततपश्चात्	कंसेशनेयर के चयन के लिये निविदा 100 दिवस में जारी कर दी जायेगी।

अ.क्र.	अनुशंसाएं	चरणबद्ध कियान्वयन	समय सीमा	रिमार्क
1.C.2.4.	किसान समूह और कृषक उत्पादक संगठनों की स्थापना करके उद्यानिकी समूह में किसानों को उच्च स्तरीय जानकारी प्राप्त करने और मार्केटिंग के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।	विभाग द्वारा ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाईडर की सेवायें निविदा के माध्यम से प्राप्त की जायेगी। लक्ष्य हेतु प्रतिवर्ष 30000 से अधिक कृषकों को उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण दिया जायेगा।	100 दिवस	ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाईडर 100 दिवस में अपना कार्य प्रारम्भ कर देगा।
1.C.3.2.	उद्यानिकी फसलों के फसलोत्तर प्रबंधन की सुविधा हेतु कलेक्शन सेंटर्स, राईपनिंग चेम्बर्स और शीत भवन सुविधायुक्त एकीकृत पैक हाउस आदि की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा।	• इन कार्यों के लिये कार्य–योजना आगामी 100 दिवस में तैयार कर ली जायेगी। • वर्ष 2014–15 के बजट में फसलोत्तर प्रबंधन सुविधाओं के लिये बजट की मांग की जायेगी।	100 दिवस सतत्	
1.C.3.4.	प्रत्येक उद्यानिकी क्लस्टर में चुनाव, छटाई, ग्रेडिंग, पैक हाउस और राईपनिंग चेम्बर्स की स्थापना की जाएगी।	उपरोक्त योजना जन–निजि भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित की जायेगी। इसके लिये ट्रांजेक्शन एडवाईज़र की सेवायें प्राप्त की जायेंगी।	निविदा निर्णय पश्चात् सतत् फालोअप किया जायेगा	ट्रांजेक्शन एडवाईजर की सेवायें प्राप्त करने के लिये निविदा 100 दिवस में जारी कर दी जायेगी।

अ.क्र.	अनुशंसाएं	चरणबद्ध क्रियान्वयन	समय सीमा	रिमार्क
1.C.3.5.	राज्य भर में चिन्हित उद्यानिकी क्लस्टर में करीब 20 कृषक उत्पादक संगठनों की स्थापना की जाएगी।	विभाग द्वारा रतलाम में अभी हाल ही में 1 एफ.पी.ओ. का गठन किया गया है। शेष 19 एफ.पी.ओ. विभिन्न जिलों में शीघ्र गठित किये जायेंगे।	प्रति तिमाही 4 एफपीओ का गठन किया जायेगा	2 एफ.पी.ओ. का गठन 100 दिवस में कर लिया जायेगा।
1.E.1.	**भण्डारण और कोल्ड चैन शीत भवन सुविधाओं का विस्तार और कृषि क्षेत्र के व्यवसायीकरण के लिए मार्केटिंग लिंकेज का सशक्तिकरण।**	उपरोक्त योजना जन–निजि भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित की जायेगी। इसके लिये ट्रांजेक्शन एडवाईज़र की सेवायें प्राप्त की जायेंगी।	ट्रांजेक्शन एडवाईजर की सेवायें प्राप्त करने के लिये निविदा 100 दिवस में जारी कर दी जायेगी।	
1.E.1.1.	किसानों के प्रोसेसर्स और उच्च मूल्य के उद्यानिकी एवं कृषि उत्पादों के खरीदारों से सम्पर्क स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्ज की स्थापना ।	उपरोक्त योजना जन–निजि भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित की जायेगी। इसके लिये ट्रांजेक्शन एडवाईज़र की सेवायें प्राप्त की जायेंगी। लाईसेंसधारी एक्सचेंज, सेवा प्रदाता होंगे।	ट्रांजेक्शन एडवाईजर की सेवायें प्राप्त करने के लिये निविदा 100 दिवस में जारी कर दी जायेगी।	समस्त कार्य 1 वर्ष में पूर्ण कर लेगे ।